न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 47/2020

1 रघुवीर सिंह पुत्र रिछपाल।
2 सुधीर सिंह पुत्र रिछपाल।
3 कपुर पुत्र रिछपाल।
4 महेन्द्र सिंह पुत्र रिछपाल।
5 श्रीमती सुशीला देवी पत्नी अमीर सिंह पुत्र रिछपाल सिंह समस्त जाति जाट निवासीगण देवलास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू हाल आबाद सीथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 भादर पुत्र प्रहलाद।
2 सोहन पुत्र प्रहलाद।
2/1 मदनगोपाल पुत्र सोहन।
2/2 लालचन्द पुत्र सोहन समस्त जाति कुम्हार निवासीगण सींथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2/3 मंजू देवी पुत्री सोहन पत्नी महावीर।
2/4 कोशल्या पुत्री सोहन पत्नी कृष्ण कुमार समस्त जाति कुम्हार निवासीगण सींथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू हाल आबाद कुम्हारा का बास तन काजड़ा तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
2/5 पिंकी देवी पुत्री सोहन पत्नी राधेश्याम।
2/6 संजू देवी पुत्री सोहन पत्नी प्रकाश समस्त जाति कुम्हार निवासीगण सींथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू हाल आबाद परसरापुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

3 घीसा पुत्र प्रहलाद जाति कुम्हार निवासी सींथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

4 ओमप्रकाश पुत्र रूघनाथ जाति जाट निवासी सोलाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू मृतक जरिये विधिक प्रतिनिधिगणः–

4/1 श्रीमती गंगा देवी पत्नी ओमप्रकाश।

4/2 सुरेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश।

4/3 राकेश पुत्र ओमप्रकाश।

4/4 सुभिता पुत्री ओमप्रकाश पत्नी बाबुलाल समस्त जाति जाट निवासीगण सोलाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू हाल आबाद बी–67 जमनापुरी मुरलीपुरा स्कीम जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

5 सहदेव पुत्र रूघनाथ जाति जाट निवासी सोलाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू मृतक जरिये विधिक प्रतिनिधिगणः–

5/1 श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी सहदेव।

5/2 राजकुमार पुत्र सहदेव समस्त जाति जाट निवासीगण सोलाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू हाल आबाद बाजाली कॉलेज के पास कृष्ण विहार जयपुर तहसील व जिला जयपुर।

5/3 अनिता पुत्री सहदेव पत्नी लक्ष्मी।

5/4 सरिता पुत्री सहदेव पत्नी रामधन समस्त जाति निवासीगण सोलाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू हाल आबाद कुलहरिया का बास तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

5/5 सुशीला पुत्री सहदेव पत्नी विजेन्द्र जाति जाट निवासी सोलाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू हाल आबाद दोरासर तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रथम अपील अ. सेक्शन 223 आर.टी.एक्ट 1955
विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांकित 05.04.2000 न्यायालय
सहायक कलेक्टर मुख्यालय झुंझुनू जिला झुंझुनू बमुकदमा
उनवानी भादर वगैरह बनाम रघुवीर सिंह वगैरह दावा
बाबत इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर
134/1998

उपस्थिति :

1. श्री महिपाल सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भगवान सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 10.03.2021

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर मुख्यालय झुंझुनू द्वारा मुकदमा संख्या 134/1998 मे पारित निर्णय दिनांक 05.04.2000 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट के विरूद्व दावा इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 1425 प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलांट के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलांट की और से यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि उक्त दावा में उक्त निर्णय व डिक्री दिनांकित 05.04.2000 पारित करने से पूर्व अपीलांट/प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 का कोई तलबीदा समन वास्ते

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

तामील जारी ही नही किया व ना ही अपीलांट/प्रतिवादीगण को उक्त उनवानी दावा का समन वास्ते तामील प्राप्त हुआ है व ना ही अपीलांट/प्रतिवादीगण नम्बरान 1 लगायत 5 का कोई तामील समन बाद तामील का योग्य अदालत मातहत की पत्रावली में लगा हुआ हैं व ना ही किसी प्रकार का कोई समन लगा हुआ हैं तथा ना ही योग्य अदालत मातहत ने किसी रिति व निति से अपीलांट/प्रतिवादीगण नम्बरान 1 लगायत 5 का समन उन पर तामील होने की बाबत आदेश पत्रावली की किसी भी आदेशिका में दर्ज किया गया हैं। जबकि विचारण नयायालय ने उक्त निर्णय व डिक्री दिनांकित 05.04.2000 एक पक्षीय निर्णय व डिक्री जारी किया है। अधिवक्ता श्री फूलसिंह दुलड़ ने उक्त प्रतिवादी संख्या 1 रघुवीर सिंह की तरफ से भी दिनांक 24.10.1998 को आयन्दा वकालतनामा प्रस्तुत करने की अन्डरटेकिंग दिया जाना अदालत मातहत कि पत्रावली आदेशिका दिनांक 24.10.1998 पर दर्ज है। जबकि उक्त अधिवक्ता श्री फूलसिंह दूलड़ को प्रतिवादीगण नम्बरान 1 लगायत 5 ने अपना अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया है। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांकित 05.04.2000 के पारित करने से पूर्व अदालत मातहत ने अपीलांट/प्रतिवादीगण नम्बरान 1 लगायत 5 को कोई सुनवाई समन व मौका नही देकर प्राकृतिक न्याय के मुलभूत सिद्वान्तों का उल्लघन किया है। रेस्पोडेंट/वादीगण नम्बर 1 लगायत 3 ने दिनांक 20.08.2020 को उक्त हाल खसरा नम्बर 1425 रकबा 1.00 हैक्टेयर वाके ग्राम सीथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू के पास लाठी व बर्छियों से दिन में करीब 11.00 बजे लेस होकर के आये व अपीलांट/प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 को उक्त आराजी से अपना कब्जा उठाकर दुर जाने के लिये कहा अन्यथा मौत के घाट उतार देने की धमकी दी व अपने हक में विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर मुख्यालय झुंझुनू की दिनांक 05.04.2000 की डिक्री होना कथन किया व उक्त डिक्री आड़ में जबरन कब्जा आयन्दा करने की धमकी देकर गये व गांव सीथल में भी ऐलानिया करते फिरते है कि अपीलांट/प्रतिवादीगण नम्बरान 1 लगायत 5 को उक्त आराजी से कब्जा छीनकर ही दम लेगें, चाहे

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उन्हें उनको मौत के घाट ही क्यों न उतारना पड़े तथा फिर अपीलांट्स ने झुंझुनू आकर जानकारी की तो जानकारी हुई कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 05.04.2000 को बहक रेस्पोडेंट/वादीगण नम्बरान 1 लगायत 3 के हक में उक्त उनवानी दावा में उक्त निर्णय व डिक्री दिनांकित 05.04.2000 पारित की गई है। तब अपीलांट/प्रतिवादीगण नम्बरान 1 लगायत 5 ने दिनांक 24.08.2020 को उक्त निर्णय व डिक्री की नकल चाहने का प्रार्थना पत्र पेश किया जो दिनांक 25.08.2020 को प्राप्त हुई तथा फिर अपीलांट/प्रतिवादीगण नम्बरान 1 लगायत 5 ने झुंझुनू आकर अपने अधिवक्ता श्री महिपाल सिंह कपुरिया से सलाह मशविरा किया व अब शीघ्र अतिशीघ्र उक्त उनवानी अपील उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 05.04.2000 के विरूद्व में प्रस्तुत करते है व अपीलांट्स के द्वारा प्रस्तुत ये अपील जानकारी के रोज से दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 का फायदा दिये जाने से अन्दर मियाद पेश है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण को दिनांक 11.09.1998 को दिनांक 24.10.1998 के लिये समन जारी किये गये है। दिनांक 24.10.1998 को अपीलांट की और से जरिये अण्डरटेकिंग श्री मूलसिंह दुलड़ अधिवक्ता उपस्थित आये है। दिनांक 21.09.1999 को अपीलांट के अनुपस्थित होने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई विस्तृत विवेचन कर वाद वादी डिक्री किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील 20 वर्ष की देरी से प्रस्तुत की गई है। दिन प्रतिदिन देरी का कारण अंकित नही किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील अपीलांट गुणावगुण एवं मियाद पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलांट को विचारण न्यायालय में समन जारी करने का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

आदेश तो पारित हुआ है किन्तु विचारण न्यायालय की पत्रावली में अपीलांटस के नाम की तामील शुद्वा अथवा समन जारी होने का कोई प्रमाण पत्रावली पर नही है। अपीलांट की और से विचारण न्यायालय में अधिवक्ता श्री मूलसिंह दुलड़ द्वारा वकालतनामा पेश करने हेतु समय अवश्य चाहा गया है किन्तु वकालतनामा प्रस्तुत नही किया गया है। ऐसी स्थिति में किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित नही है कि विचाराधीन प्रकरण की अपीलांट को जानकारी थी।

यहां यह भी विचारणीय है कि अपीलांट द्वारा कथन किया गया है कि विचाराधीन निर्णय की आदिनांक तक पालना नही हुई है। अपीलांट के इस कथन का भी रेस्पोडेंट ने कोई खण्डन प्रस्तुत नही किया है। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांट एवं आवेदन धारा 5 स्वीकार योग्य पाया जाता है अत धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को न्यायहित में कन्डोन किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट से जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.03.2021 को उपस्थिति देवे।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सूरवीर सिंह चौधरी)
पदेन-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर